समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2024 / 2001

दिनांक 13 SEP 2024

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
प्रेस्टिज इंस्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च,
2, एज्युकेशन एण्ड हेल्थ सेक्टर,
स्कीम नं 54, इन्दौर।

विषयः–महाविद्यालय को विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संबंध में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29/12/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13/02/2024 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है:–

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	एलएल.बी.(ऑनर्स) (त्रिवर्षीय)	2024–25	60–60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैं।
2	बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2024–25	60–60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैं।
3	बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2024–25	60–60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैं।
4	बी.कॉम.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2024–25	60–60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैं।
5	एलएल.एम.	2024–25	30 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैं।

शर्तें:–

1. महाविद्यालय को सत्र 2024–25 में विधि पाठ्यक्रमों की स्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि महाविद्यालय बी.सी.आई., नई दिल्ली से विधि विषयों में ऑनर्स पाठ्यक्रमों का अनुमोदन/अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही सत्र 2024–25 में म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही करेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 27 एवं 28 के पूर्ण पालन एवं अधोसंरचना, ग्रंथालय में पुस्तकों एवं जर्नल की पूर्ति, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की आपूर्ति नियामक संस्था के नियमों के अनुरूप एवं कॉलेज कोड–28 में शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुपात मे अनुपालन सुनिश्चित किया जावें।
3. बी.सी.आई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in** के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।

निर्देशः–सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर **CCTV** कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2024 / 2001

दिनांक 13 SEP 2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज ऐवेन्यू इंस्टिट्युशनल एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप–कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,
महाविद्यालय विकास परिषद्

E-mail : bciinfo21@gmail.com
info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel. : (91) 011-4922 5000
Fax : (91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: 730 /2024 (LE/App/Afflin) **Dated: 5.7.2024**

To,

1.	**The Registrar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, R.N. Tagore Marg, Indore – 486001 Madhya Pradesh**
2.	**The Principal, Prestige Institute of Management and Research, 74-C, Sector "D", Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh**

Sub: Extension of provisional approval to Prestige Institute of Management and Research, Indore, Madhya Pradesh for imparting five year BA LL.B (H), five year BBA LL.B(H), five year B. Com LL.B (H) and three year LL. B (H) courses with intake of two section of 60 students in each section for a period of one year for the academic year 2023-2024.

Sir/Ma'am,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval to **Prestige Institute of Management and Research, Indore, Madhya Pradesh** which has already applied for extension of approval for the academic year 2023-2024.

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 9th June, 2023 by the General Council of the Bar Council of India with respect to grant of provisional approval of affiliation, to existing Centres of Legal Education/Colleges, whose approval cum regular inspection fee has been deposited, application of extension of approval of affiliation is pending, but no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for the academic year 2023-2024.

"RESOLVED that with respect to existing Centres of Legal Education/Colleges, whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, such Centres of Legal Education/Colleges may continue to admit students only for the academic year 2023-2024.This will apply only in case where affiliation has

Typed by: TS
Fee & GA Checked: TS
Default Amt.: TS
Compliance: SG
Meeting Letter: S.G